कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

–:: कार्यालय आदेश ::–

आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–6/स्थानान्तरण/राजनीति विज्ञान/2018/ दिनांक 27.05.18 द्वारा करतार सिंह व्या. राजनीति विज्ञान ,राउमावि सिंवाची गेट–चौपासनी जोधपुर को आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया तत्पश्चात् आदेश क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था /सी–6/स्थानान्तरण/राजनीति विज्ञान/2018 दिनांक 06.06.2018 द्वारा इनका पदस्थापन राउमावि मलूंगा तिंवरी–जोधपुर किया गया तथा इन्हें नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय है । अपने पदस्थापन आदेश के विरूद्ध करतार सिंह ने माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 7942/2018 दायर की । याची ने माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष गुहार की कि उसकी 10 वर्ष की पुत्री जोधपुर शहर में पढती है जिसकी देख–रेख का समस्त उत्तरदायित्व याची पर है याची की 2 वर्ष की सेवा शेष है । काउंसलिंग में शहर व नजदीक के रिक्त पदों को नहीं दर्शाया गया और मेरा पदस्थापन शहर में दूर कर दिया गया अतः मुझे जोधपुर शहर में पदस्थापित किया जाना चाहिये । माननीय उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में याची को अभ्यावेदन प्रस्तुत करने तथा अप्रार्थी द्वारा अभ्यावेदन के निस्तारण का आदेश दिया जिसकी अनुपालना में याची ने अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया ।

याची के अभ्यावेदन का गहनता से अध्ययन व मनन करने तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर याची की मांग के विषय में स्पष्ट है कि याची का पदस्थापन काउंसलिंग द्वारा किया गया । काउंसलिंग में शामिल रिक्त पदों का निर्धारण विभाग की प्राथमिकता एवं आवश्यकतानुसार किया जाता है । व्याख्याता का पद राज्य स्तरीय सेवा का पद है व छात्र हित एवं लोक हित में किसी भी व्याख्याता को राज्य में किसी भी स्वीकृत पद पर पदस्थापित किया जा सकता है ।

उक्तानुसार याचि का अभ्यावेदन खारिज करते हुवे निस्तारित किया जाता है । सभी पक्षकार सूचित होवें ।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/सी–6/**याचिका सं0 7942**/18 दिनांक 17-7-2018

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. जि.शि.अ. (माध्य–विधि) जोधपुर
2. विधि अनुभाग, कार्यालय हाजा
3. संबंधित कार्मिक करतार सिंह
4. गार्ड पंजिका

संयुक्त–निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर